भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1030
22.11.2019 को उत्तर के लिए

अपर जोंक सिंचाई परियोजना

1030. श्री बसंत कुमार पांडा:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन क्षेत्र की मंजूरी नहीं मिलने के कारण अपर जोंक सिंचाई परियोजना को पूरा नहीं किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या मंत्रालय को अपर जोंक सिंचाई परियोजना की वनक्षेत्र मंजूरी हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग) मंत्रालय द्वारा दिनांक 07.03.1986 को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत ओडिशा राज्य में 339.52 हेक्टेयर वन भूमि को शामिल करके अपर जोंक सिंचाई परियोजना के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है।

तथापि, भारतीय वन्यजीव बोर्ड (आईबीडब्लयूएल), की स्थायी समिति ने दिनांक 26.02.2002 को आयोजित अपनी बैठक में 142.699 हेक्टेयर अतिरिक्त वन क्षेत्र के प्रस्ताव को पर्यावरण एवं वन्यजीवों पर प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में विचार करने हेतु अनुशंसित नहीं किया गया था, क्योंकि प्रस्तावित क्षेत्र सुनाबेदा वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आ रहा था। तदनुसार, भारत सरकार ने उस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया।

****